

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

—0—

// अधिसूचना //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23/11/2019

क्रमांक एफ 1-13/2008/स्था./चार.: राज्य शासन अधिसूचना प्रसारण के दिनांक से पेंशन कल्याण मण्डल का पुर्नगठन निम्नानुसार करता है :-

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन या उनके द्वारा मनोनित
अपर मुख्य सचिव अध्यक्ष
 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त विभाग सदस्य
 3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य
 4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सदस्य
 5. श्री सी.एल. साहू, छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ, रायपुर, जिला रायपुर सदस्य
 6. श्री के.आर. चन्द्राकर, छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ, महासमुन्द,
जिला महासमुन्द सदस्य
 7. श्री अश्वनी कुमार पाण्डेय, पेंशनर समाज, दुर्ग, जिला दुर्ग सदस्य
 8. श्री रामकुमार थवाईत, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ, जिला जांजगीर चांपा सदस्य
 9. श्री राम चन्द्र सिंह मरकाम, छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ, जिला सूरजपुर सदस्य
 10. आयुक्त/संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ सदस्य/संयोजक
2. पेंशनर कल्याण मण्डल का कार्यालय कोष, लेखा एवं पेंशन, संचालनालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर होगा।
3. पेंशनर कल्याण मण्डल का कार्य पेंशनरों की समस्याओं पर सतत विचार कर राज्य शासन को सलाह देना, प्रक्रिया संबंधी विसंगतियों एवं कठिनाईयों को शासन की जानकारी में लाना और उनके निवारण के उपाय एवं साधन सुझाना होगा।
4. मण्डल के मनोनित सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः दो वर्ष का होगा, जो आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा। किसी सदस्य के त्याग पत्र देने पर अथवा किसी भी कारण मण्डल का कार्य संपादन करने में असमर्थ/अपात्र होने पर सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकेगी।
5. समिति के सदस्यों को यात्रा एवं दैनिक भत्तों का भुगतान वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ बी-6-1/84/नि.2/चार, दिनांक 08.10.84 के अनुसार विनियमित होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

22/11
(शारदा वर्मा)

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

पृ.क्रमांक एफ 1-13/2008/स्था./चार,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23/11/2019

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर
 2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य मंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
 3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
 4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
 5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
 6. निज सचिव/निज सहायक, मान. मंत्रीगण/मान. राज्यमंत्रीगण, नवा रायपुर अटल नगर
 7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
 8. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
 9. शासन के समस्त विभाग
 10. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर
 11. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़
 12. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
 13. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
 14. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग के स्टॉफ आफिसर, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
 15. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर
 16. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
 17. राज्य सूचना आयुक्त, सूचना का अधिकार आयोग, नवा रायपुर अटल नगर
 18. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
 19. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
 20. भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई/भोपाल/रायपुर
 21. उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय शाखा/आंचलिक कार्यालय, रायपुर
 22. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
 23. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर/सरगुजा/जगदलपुर, छत्तीसगढ़
 24. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
 25. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित



22/11

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग